उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और वह उपलब्ध अभिलेख में से जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को यह भी हिदायत की जाती है कि भविष्य में अपील का जबाब एवं रिकार्ड नियत दिनांक से पूर्व ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 73/2017 अनवानी नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह निवासी वार्ड न0 8, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25—10—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2017 के द्वारा उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

> नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा सार्वजनिक सडकों, नालियों, स्कूलों, रेलवे, पार्को, पार्किगं की जमीन को खांचा भूमि के नाम पर पैसे भरवाकर पटटे जारी कर दिये जाते है।
>
> कानून के तहत एस.डी.एम प्रशासन नगरपालिका द्वारा बेचान की गई सार्वजनिक जगह को सही मानता है अथवा अतिक्रमण कानूनी प्रक्रिया के आधार पर 30 दिन में रिकार्ड उपलब्ध करवाये।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2017 के द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र एवं आवेदन पत्र की प्रतियां कार्यालय के पत्र सं0 1815 दिनांक 10.10.2017 के साथ उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को प्रेषित कर प्रतिवेदन मय रिकार्ड चाहा गया किन्तु उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा अपना प्रतिवेदन एवं रिकार्ड प्रस्तुत नही किया और न ही नियत तारीख पर सुनवाई के लिए उपस्थित आये है।

अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2017 के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित व स्पष्ट नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर